



सत्यमेव जयते

# The Kolkata Gazette

*Extraordinary*  
Published by Authority

Wednesday, January 14, 2026

## PART II - Advertisements, Notices

### Notice

No legal responsibility is accepted for the publication of advertisements/ public notices in this part of the Kolkata Gazette. Persons notifying the advertisements/ publications will remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.


By Order,  
Public Enterprises &  
Industrial Reconstruction Department  
Government of West Bengal

THE KOLKATA GAZETTE, EXTRAORDINARY, January 14, 2026

## Application for Publication of Public Notice

I CHANDAN CHATTERJEE, son of LATE SUNIRMAL CHATTERJEE R/o NO. 9, PORTLAND PARK, ALIPORE, KOLKATA -700027, have been authorized by the SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT KOLKATA to publish the Rules & Regulations as per the enclosed text matter.

It is certified that, I on behalf of SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT KOLKATA have complied with all other legal requirements in this connection.



The information published in this Gazette Notification has been provided by me, this is true & correct to the best of my knowledge and belief.

If any legal issue arises in this regard at any stage, I shall be personally responsible for any consequences arising therefrom.

**सयामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता**  
**Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata**

**No. SMPK/09/2025-26**

**NOTIFICATION**

**To whomsoever it may concern**

The Board of Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata (SMPA) in its meeting held on 16.10.2025 resolved to sanction draft Regulations for Grant of Permission for Construction Under Section 26 of the Major Port Authorities Act, 2021, subject to the approval of Central Government. The said draft Regulations pursuant to Clause – (f) and (i) of sub-section (2) of Section 72 read with sub-section (1) of Section 26 of Major Port Authorities Act, 2021, is being notified hereto for general information of public. If anybody has any observation with regard to the said draft Regulations, the same may be intimated to Secretary, SMPK, 15, Strand Road, Kolkata- 700 001 in writing either by post or through e-mail (id-[secretary@smportkolkata.shipping.gov.in](mailto:secretary@smportkolkata.shipping.gov.in)) within 15 days from the date of publication of this notification in the Kolkata Gazette Extraordinary. It will, thereafter, be sent to Central Government for its consideration and approval.

-Sd-  
(C. Chatterjee)  
Secretary  
On behalf of  
Board of Syama Prasad Mukherjee Port, Kolkata

**श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता**  
**SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT, KOLKATA**

**No. SMPK/09/2025-26**

**NOTIFICATION**

**The Kolkata Gazette, Extraordinary**

**DRAFT REGULATIONS FOR GRANT OF PERMISSION FOR CONSTRUCTION**  
**UNDER SECTION 26 OF MAJOR PORT AUTHORITIES ACT, 2021**

Under Section 26(1) of MPA Act 2021, Board of Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata may “permit construction and development by itself or through any person, to make, erect, fixed or remove within the port limits or Major Port approaches any wharf, dock, quay, stage, jetty, pier, building or structure, erection or mooring or undertake any reclamation of foreshore within the set limits and buildings and amenities required for the residence and welfare of the employees of the Board, subject to such limits, conditions and restrictions as it may deem necessary or expedient”. The port limit is defined in GSR 627( E) and GSR 626( E) dated 24<sup>th</sup> June, 2016.

Under Section 26(2) of MPA Act 2021, “in case of conflict between the regulations made by the local authority and those made by the Board, and the regulations made by the Board shall prevail”.

Considering of large number of private and properties in the entire River stretch, the following regulations and guidelines have been drawn up for grant of permission u/s 26(1) of MPA Act:-

- 1) The Board may permit addition / alteration / construction / erection of public utilities, parks, gardens, beautification, bathing ghats, with / without temporary shops and eateries, jetties, and other activities including temporary embankment for ship repair and ship building activities, passenger jetties, water intake jetties and allied structures which essentially require a waterfront. Apart from these, any permanent construction / modification of existing structure as per the local Corporations’ / Panchayats’ approved plan, as the case may be shall also be permitted , and all such proposed addition / alteration / construction / erection shall be subject to the following terms & conditions :
  - a) The project proposal / developer / land owner / authorized agency would be required to undertake bank protection works based on detailed study report / recommendation of the Civil Engineering / Water Resources Engineering Department of any of the three reputed institutes in Bengal, viz. Jadavpur University, IEST (BESU) or IIT, Kharagpur. Subsequent retain concurrence of SMPK to the methodology recommended by the institutes would be necessary. SMPK may also suggest changes to be made in the recommendations this regard. Till such time the bank protection work is completed by such project proposer/developer/ land owner/authorized agency after due concurrence of

SMPK, the permission given under section 26(1) shall be deemed as provisional & SMPK will have the authority to revoke the permission for any non-compliance. During the construction period, the Project Proponent has to submit an amount equivalent to the FOC in the form of BG. FOC will be calculated based on the waterfront area of the Project irrespective of occupying the area or not. BG shall remain valid during the period of Construction with claim period of additional 1 year.

The periodical maintenance/replenishment of bank protection as per scheme of the recommending Institute shall have to be carried out by such project proposer/developer/land owner/authorized agency at their own cost. In case the river bank is damaged/ becomes vulnerable due to non-maintenance/replenishment of bank protection as above, SMPK shall have the right to carry out of the work at the cost and expense of the defaulting party inclusive of additional 19.25% on the actual cost of work to be paid by the defaulting party as departmental charges.

- b) Provision to be kept for minimum 11m paid corridor fit for vehicular movement inside the Bank Protection Work in the proposed plot of construction. In case of unavailability of land for the said purpose, the developer/land owner/authorized agency, as the case may be, shall take all possible steps to make available such land in compliance to the loss of the land.

For conservancy purposes, a paved clear corridor fit for vehicular movement of minimum 11m (3-lane) width from MHWS line at spring tide should be maintained by the developer/land owner/authorized agency and provide SMPK access to the said corridor as and when require. Depending upon erosion potential of a particular stretch of river bank, the width of the 11m clear corridor may also be increased.

All landscaping activities and plantation activities should be carried out outside the said 11m paved clear corridor.

- c) Once the joint inspection is completed and the MHWS points are identified, the MHWS line to be shown on the site plan with respect to the outer line of plot boundary towards River.
- d) The project proponent will prepare and submit an Environment Impact Assessment (EIA) and Environment Management Plan (EMP) study report for ascertaining any negative impact on the river ecosystem in terms of the NGT order dated 13.09.2017. This report must be prepared in accordance with the 2006 EIA Notification by NABET (QCI) approved firms (list of firms available at [http://eia.nabet.qci.org.in/Accredited\\_EIA\\_Consultant.aspx](http://eia.nabet.qci.org.in/Accredited_EIA_Consultant.aspx)). Subsequent written concurrence of SMPK to the methodology recommended by the Institutes would be necessary and the decision of SMPK in this regard shall be final. SMPK may also suggest changes to be made in this regard.

- e) For applications for construction of Water Intake (WI) jetties, a Feasibility Study to finalize the sitting of the WI jetty must be conducted by Hydraulic Study Department (HSD) of SMP, Kolkata. The application for construction of Water Intake jetties should mandatorily include the Feasibility study conducted by the HSD in 5 copies.
  - f) No changing of bank line will be allowed and no encroachment into the river will be allowed in the name of bank protection or otherwise. SMPK shall have the power to remove any such unauthorized encroachment on its own motion at the cost of the defaulting party and shall also have the power to impose penalty as may be determined. SMPK shall also have the power to carry out the demolition and restoration works, if any, at the expense of the developer/land owner or authorized agency concerned as the case may be. The cost will be inclusive of additional 19.25 % on the actual cost of work to be paid by the defaulting party as departmental charges.
  - g) Restriction on construction of deep tube well within port limits would apply, depending on the location. The concerned developer/land owner or authorized agency shall be obligated to obtain prior permission from the concerned authority including SMPK, in this regard.
  - h) In case of any unprecedented Hydro-morphological changes in the river or for any reason whatsoever, SMPK shall not be responsible in any manner for any consequential effect on the construction and stability of the structures falling within the port limits.
  - i) Permission of SMPK and clearances from all the Statutory Authorities, as the case may be, shall be required even for carrying out any temporary construction or repair or renovation works and necessary applications indicating the nature and extent of repair works to be carried must be submitted. SMPK shall consider such applications keeping in mind the supposed impact on the environment; the riverine channel and other relevant factors and the decision of the SMPK shall be final. For the said purpose, SMPK shall also have the [power to cause local inspections prior to grant of such approval.
  - j) The above conditions would be applicable in respect of all future construction (permanent or temporary) irrespective of existence of already sanctioned plans from concerned Municipality/Corporation/Panchayat.
- 2) The following should be submitted along with the application for processing No Objection Certificate (NOC):
- i. A detailed write up on the proposed addition/alteration/construction/erection that is i.e project proposal.

- ii. Copy of SMPKs Hydrographic Survey Chart demarcating location of the proposed construction in WGS- 84 Lat-Long Grid.
  - iii. Engineering drawing viz:- Site Plan, Layout Plan, Elevation Plan, Sectional Plan etc.
  - iv. EIA-EMP Report.
  - v. Bank Protection Study Report prepared by Jadavpur University IEST Shivpur/IIT Kharagpur.
  - vi. Location of Hooghly River in respect to the Plot.
  - vii. Outline of Area proposed for construction in the plot.
  - viii. Distance between the alignment of the top age of Bank Protection and the periphery of construction.
- 3) SMPK shall have the power to remove any construction done without prior permission of this Port and in such cases where it is found that construction activities are being carried out in deviation the approved sanctioned plan and/or permission. The expenses for such removal of unauthorized construction and restoration thereof shall be borne by the project proposer/developer/land owner or any authorized agency, as the case may be. SMPK shall also be entitled to impose such penalty as it would deem fit and proper considering the nature of breach.
  - 4) While applying for permission u/s 26 (1) of MPA Act, a processing fee of Rs. 22,000/- per application + 18% GST will be payable. Apart from the processing fee, other applicable dues/charges like foreshore occupation charge, impact assessment fees for water intake, fee for beatification, etc. would be payable.
  - 5) In cases of permission granted to developers for authorize construction, Foreshore Occupation Charge and Impact Assessment Fees for 30 years as applicable will be recovered as one- time upfront value from the developer apart from other applicable charges.
  - 6) An Inspection fee of Rs. 2.20 lakh + 18% GST will be payable prior to inspection by SMPK team, irrespective of grant of permission to the party. Subsequent inspection fees, if required will also be payable at 50% of initial inspection fee, that is Rs. 1.10 lakh + 18% GST, prior to each subsequent inspection.
  - 7) All applicable Fees shall be reviewed from time to time by SMPK.
  - 8) Endeavour shall be made to process applications accompanied by all supporting documents including but not limited to the requisite maps, plans, drawing document, permissions and fees, in the prescribed format within 45 days for property construction proposals and within 60 days for jetty construction proposals of getting relevant

documents and suitability of tidal rises. For timely processing of applications the same should be submitted as per proforma attached.

- 9) Any construction / extension/ modification within the property area of an existing old building i.e. prior to 2014 will be treated as a new construction and will be subject to the above rules.
- 10) SMPK shall have the power to revoke the permission granted (including that of repairs), if at any point of time, it is found that such construction activity is affecting the riverine channel, bank and ecosystem of the river. SMPK shall also have the power to impose penalty if it is found that the project proposer/ developer / land owner or any authorized agency is responsible for implementation of the project in deviation to the sanction accorded by SMPK. In such a situation, in addition to the penalty, SMPK shall also be entitled to and project proposer/developer/land owner/authorized agency shall be liable to pay the cost of demolition of construction and restoration of the riverine channel. All such payment has to be entirely paid by the project proposer/developer/land owner/authorized agency, as the case may be, within 3 months of final claim by SMPA in this regard, felling which SMPK shall have the right to recover such amount by initiating appropriate proceedings against the defaulting party.
- 11) SMPK shall also have the right to carry out suo-moto inspection from time to time to ascertain that the construction activities are carried on within the permissible limits and in accordance to the approved schemes/plans. SMPK shall also have the authority to direct temporary or permanent suspension of any construction and/or repair works if it is found that the same is being carried on in deviation of the approvals. Such suspension shall be lifted once the deviations are rectified.
- 12) The project proposer/developer/land owner/authorized agency must set up appropriate effluent treatment plant and take proper steps to negate discharge of waste into river bodies. Dumping of garbage and rubbish in landing spaces and port limits shall be not be permitted and steps must be taken by developer/land owner/authorized agency to dispose and manage the same as per SWM Rules without any undue delay. In case of failure on part of developer/land owner/authorized agency to take steps in respect of the same, Port shall be entitled to take appropriate steps for regulating the same and may also proceed to revoke the permission granted to project proposer/developer/land owner/authorized agency upon imposition of penalty as it may deem fit and proper on a case to case basis.
- 13) In terms of Clause 16 (2) of the NGT Order of September 2017 in the matter of Original Application No. 08/2015/EZ all applications received for construction within port limits under Section 26 of the Major Port Authorities Act, 2021 will be consider by an expert Committee consisting of the Director Marine Department, the Chief Engineer and the Chief Hydraulic engineer, assisted by the Manager (Environment) and in his absence OSD (Environment).

- 14) The above regulations shall be published by SMPK by way of paper publications at periodic intervals for awareness of the local Municipalities, Panchayats and Corporations and the public at large.
- 15) All construction activities carried out/ completed in non-adherence to the Guidelines prior to publication of this regulation regarding without “Construction within Port Limits” shall be regularized subject to the following:
- i. The party shall submit all the requisite documents as stated in Sl. No. 2.
  - ii. Endeavour to be made for strictly adhering to the Guidelines to the extent practicable considering safety of the structures involved.
  - iii. Penal charges to be paid by the party for violation of the Guidelines which will be double the applicable charges which includes upfront Foreshore Occupation charges for a period of 30 years, Inspection Fee, Processing Fee and any other fees relevant in this regard.
  - iv. Such construction shall not contaminate/pollute the River Hooghly in any manner whatsoever.
- 16) SMPK shall the right to make such addition/alteration or modifications to the aforesaid guidelines in line with the spirit of the guidelines and as would be necessary to give effect to the same. All the decisions of SMPK with regard to permissions and approvals shall be final and binding on all concerned.

**-Sd-**

**(C. Chatterjee)**

**Secretary**

**By order of Board of Major Port Authority  
for Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata**

## श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता

सं. एसएमपीके/09/2025-26

### अधिसूचना कोलकाता राजपत्र, असाधारण

#### महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 26 के तहत निर्माण के लिए अनुमति देने संबंधी मसौदा विनियम

एमपीए अधिनियम 2021 की धारा 26(1) के तहत, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता का बोर्ड "खुद या किसी व्यक्ति के ज़रिए, पोर्ट की सीमाओं या महापत्तन के पहुँच के अंदर किसी भी घाट, डॉक, के, स्टेज, जेटी, पियर, भवन या संरचना, निर्माण या मूरिंग बनाने, परिनिर्माण करने, निश्चित करने या हटाने की अनुमति दे सकता है, या तय सीमाओं के अंदर किनारे की ज़मीन को वापस पाने हेतु कार्य कर सकता है और बोर्ड के कर्मचारियों के रहने और कल्याण के लिए भवन और सुविधाओं का निर्माण कर सकता है, ऐसी सीमाओं, शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जिन्हें वह ज़रूरी या उचित समझे"। पोर्ट की सीमा जीएसआर 627(ई) और जीएसआर 626(ई) दिनांक 24 जून, 2016 द्वारा परिभाषित है।

एमपीए अधिनियम 2021 की धारा 26(2) के तहत, "अगर किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों और बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के बीच कोई टकराव होता है, तो बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम मान्य होंगे"।

पूरी नदी के किनारे बड़ी संख्या में निजी और सरकारी संपत्तियों को देखते हुए, एमपीए अधिनियम की धारा 26(1) के तहत अनुमति देने के लिए निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश बनाए गए हैं:-

- 1) बोर्ड सार्वजनिक उपयोगिताओं, पार्कों, उद्यानों, सौंदर्यीकरण, स्नान घाटों, अस्थायी दुकानों और भोजनालयों, जेटी, और जहाज की मरम्मत और जहाज निर्माण गतिविधियों, यात्री जेटी, जल सेवन जेटी और संबद्ध संरचनाओं के लिए अस्थायी तटबंध सहित अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त / परिवर्तन / निर्माण / , परिनिर्माण की अनुमति दे सकता है, जिसके लिए अनिवार्य रूप से जलमार्ग की आवश्यकता होती है। इनके अलावा स्थानीय निगमों / पंचायतों की अनुमोदित योजना के अनुसार मौजूदा संरचना के किसी भी स्थायी निर्माण / संशोधन की भी अनुमति दी जाएगी, और इस तरह के सभी प्रस्तावित अतिरिक्त / परिवर्तन / निर्माण / परिनिर्माण निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन होंगे:
  - a) परियोजना प्रस्ताव / डेवलपर / भूमि मालिक / अधिकृत एजेंसी को बंगाल में तीन प्रतिष्ठित संस्थानों में से किसी एक के सिविल इंजीनियरिंग / जल संसाधन इंजीनियरिंग विभाग की विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट / सिफारिश के आधार पर बैंक संरक्षण कार्यों को करने की आवश्यकता होगी। जादवपुर विश्वविद्यालय, आईआईईएसटी (बीईएसयू) या आईआईटी, खड़गपुर एसएमपीके इस बारे में अपनी सिफारिश में बदलाव करने का सुझाव भी दे सकता है। जब तक ऐसे परियोजना प्रस्तावक/डेवलपर/ज़मीन मालिक/प्राधिकृत एजेंसी एसएमपीके की मंजूरी के बाद बैंक बचाव का काम पूरा नहीं कर लेते, तब तक खंड 26(1) के तहत दी गई अनुमति को अनंतिम माना जाएगा और एसएमपीके के पास किसी भी तरह

की गलती होने पर अनुमति रद्द करने का अधिकार होगा। निर्माण के समय, परियोजना प्रस्तावक को एफ़ओसी के बराबर रकम बीजी के रूप में जमा करना होगी। एफ़ओसी का हिसाब परियोजना के वॉटरफ्रंट क्षेत्र के आधार पर लगाया जाएगा, चाहे उस क्षेत्र पर कब्ज़ा हो या नहीं। निर्माण के समय के दौरान बीजी वैध रहेगा और दावा का 1 वर्ष और होगा।

सिफारिश करने वाले संस्था की योजना के अनुसार बैंक बचाव का समय-समय पर अनुरक्षण/ प्रतिस्थापन ऐसे परियोजना प्रस्तावक /डेवलपर/ज़मीन मालिक/प्राधिकृत एजेंसी को अपने खर्च पर करना होगा। अगर नदी का किनारा ऊपर बताए गए तरीके से बैंक बचाव का अनुरक्षण न करने/फिर से न भरने की वजह से खराब हो जाता है/कमजोर हो जाता है, तो एसएमपीके को डिफॉल्ट करने वाली पार्टी के खर्च पर काम करने का अधिकार होगा, जिसमें काम की असली लागत पर 19.25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल होगा, जो डिफॉल्ट करने वाली पार्टी द्वारा विभागीय शुल्क के तौर पर दिया जाएगा।

- b) निर्माण के प्रस्तावित भूखंड में बैंक बचाव कार्य के अंतर्गत गाड़ियों की आवाजाही के लिए कम से कम 11मी. पेड कॉरिडोर का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। अगर उस मकसद के लिए ज़मीन नहीं मिलती है, तो डेवलपर/ज़मीन का मालिक/प्राधिकृत एजेंसी, जैसा भी हो, ज़मीन के नुकसान के हिसाब से ऐसी ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। संरक्षण के मकसद से, स्प्रिंग टाइड के समय एमएचडबल्यूएस लाइन से गाड़ियों की आवाजाही के लिए कम से कम 11मी (3-लेन) चौड़ा एक पक्का, साफ़ कॉरिडोर डेवलपर/ज़मीन का मालिक/प्राधिकृत एजेंसी को अनुरक्षण करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर एसएमपीके को उस कॉरिडोर तक पहुँच देना चाहिए। नदी के किनारे के किसी खास हिस्से में कटाव की संभावना के आधार पर, 11 मी के स्पष्ट गलियारे की चौड़ाई भी बढ़ाई जा सकती है।

सभी भूदृश्य गतिविधियां और वृक्षारोपण गतिविधियां उपरोक्त 11मी के पक्के स्पष्ट गलियारे के बाहर की जानी चाहिए।

- c) संयुक्त निरीक्षण पूरा होने और एमएचडबल्यूएस बिंदु की पहचान होने के बाद, साइट प्लान पर प्लॉट की बाउंड्री की बाहरी लाइन के हिसाब से नदी की ओर एमएचडबल्यूएस लाइन दिखाई जाएगी।
- d) परियोजना का प्रस्ताव देने वाला एनजीटी के 13.09.2017 के आदेश के अनुसार नदी के इकोसिस्टम पर किसी भी बुरे असर का पता लगाने के लिए एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) स्टडी रिपोर्ट तैयार करके जमा करेगा। यह रिपोर्ट एनएबीईटी (क्यूसीआइ) से मंज़ूर फर्मों (फर्मों की लिस्ट <http://eia.nabet.qci.org.in/Accredited EIA Consultant.aspx> पर उपलब्ध है) द्वारा 2006 के ईआईए अधिसूचना के अनुसार तैयार की जानी चाहिए। संस्था द्वारा सुझाए गए पद्धति के लिए एसएमपीके की बाद में लिखित सहमति ज़रूरी होगी और इस बारे में एसएमपीके का फ़ैसला आखिरी होगा। एसएमपीके इस बारे में किए जाने वाले बदलावों का सुझाव भी दे सकता है।
- e) वॉटर इनटेक (डबल्यूआई) जेट्टी बनाने के एप्लीकेशन के लिए, डबल्यूआई जेट्टी की सिटिंग को अंतिम करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन एसएमपी, कोलकाता के हाइड्रोलिक

स्टडी विभाग (एचएसडी) द्वारा की जानी चाहिए। वॉटर इनटेक जेट्टी बनाने के एप्लीकेशन में एचएसडी द्वारा की गई व्यवहार्यता अध्ययन की 5 प्रति ज़रूर होनी चाहिए।

- f) बैंक लाइन बदलने की इजाज़त नहीं होगी और बैंक की सुरक्षा या किसी और नाम पर नदी में कोई कब्ज़ा नहीं होने दिया जाएगा। एसएमपीके के पास ऐसे किसी भी बिना इजाज़त के कब्ज़े को अपनी मर्ज़ी से हटाने का अधिकार होगा, जिसका खर्च डिफ़ॉल्ट करने वाली पार्टी उठाएगी और तय की गई जुर्माना लगाने का भी अधिकार होगा। एसएमपीके के पास डेवलपर/ज़मीन के मालिक या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी के खर्च पर, अगर कोई हो, तो उसे गिराने और ठीक करने का काम करने का भी अधिकार होगा। खर्च इसमें शामिल होगा। इसमें डिफ़ॉल्ट करने वाली पार्टी द्वारा विभागीय शुल्क के रूप में काम की असल लागत पर अतिरिक्त 19.25% का भुगतान शामिल है।
  - g) पोर्ट की सीमाओं के अंदर गहरे ट्यूबवेल के निर्माण पर, जगह के आधार पर, प्रतिबंध लागू होगा। संबंधित डेवलपर/ज़मीन मालिक या अधिकृत एजेंसी इस संबंध में एसएमपीके सहित संबंधित प्राधिकरण से पहले अनुमति लेने के लिए बाध्य होगी।
  - h) नदी में किसी भी अप्रत्याशित हाइड्रो-मॉर्फोलॉजिकल बदलाव या किसी भी कारण से, पोर्ट की सीमाओं के अंदर आने वाले संरचना के निर्माण और स्थिरता पर किसी भी परिणामी प्रभाव के लिए एसएमपीके किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगा।
  - i) किसी भी अस्थायी निर्माण या मरम्मत या नवीनीकरण के काम को करने के लिए भी एसएमपीके की अनुमति और सभी वैधानिक प्राधिकरण से मंजूरी, जैसा भी मामला हो, ज़रूरी होगी और किए जाने वाले मरम्मत कार्यों की प्रकृति और सीमा बताते हुए ज़रूरी आवेदन जमा करने होंगे। एसएमपीके ऐसे आवेदनों पर पर्यावरण, नदी चैनल और अन्य संबंधित कारकों पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा और एसएमपीके का निर्णय अंतिम होगा। उक्त उद्देश्य के लिए, एसएमपीके के पास ऐसी मंजूरी देने से पहले स्थानीय निरीक्षण कराने का भी अधिकार होगा।
  - j) उपरोक्त शर्तें सभी भविष्य के निर्माण (स्थायी या अस्थायी) के संबंध में लागू होंगी, भले ही संबंधित नगर पालिका/निगम/पंचायत से पहले से स्वीकृत योजनाएं मौजूद हों।
- 2) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रसंस्करण के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित जमा करना होगा:
- i. प्रस्तावित जोड़/बदलाव/निर्माण/स्थापना पर एक विस्तृत विवरण, यानी परियोजना प्रस्ताव।
  - ii. एसएमपीके के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण चार्ट की प्रति जिसमें WGS-84 लेट-लॉन्ग ग्रिड में प्रस्तावित निर्माण की जगह दिखाई गई हो।
  - iii. इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे:- साइट प्लान, लेआउट प्लान, उन्नयन योजना, अनुभागीय योजना आदि।

- iv. ईआईए-ईएमपी रिपोर्ट।
  - v. जादवपुर यूनिवर्सिटी आईआईईएसटी शिवपुर/आईआईटी खड़गपुर द्वारा तैयार की गई बैंक बचाव अध्ययन रिपोर्ट।
  - vi. प्लॉट के संबंध में हुगली नदी की जगह।
  - vii. प्लॉट में निर्माण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की रूपरेखा।
  - viii. बैंक बचाव के ऊपरी किनारे की अलाइनमेंट और निर्माण की परिधि के बीच की दूरी।
- 3) एसएमपीके को इस पोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना किए गए किसी भी निर्माण को हटाने का अधिकार होगा और ऐसे मामलों में जहां यह पाया जाता है कि निर्माण गतिविधियां स्वीकृत स्वीकृत योजना और/या अनुमति से हटकर की जा रही हैं। ऐसे अनाधिकृत निर्माण को हटाने और उसे बहाल करने का खर्च प्रोजेक्ट प्रस्तावक/डेवलपर/भूमि मालिक या कोई अधिकृत एजेंसी, जैसा भी मामला हो, वहन करेगा। एसएमपीके उल्लंघन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, वैसा जुर्माना लगाने का भी हकदार होगा।
  - 4) एमपीए अधिनियम की धारा 26 (1) के तहत अनुमति के लिए आवेदन करते समय, प्रति आवेदन 22,000/- रुपये + 18% जीएसटी का प्रोसेसिंग शुल्क देय होगा। प्रोसेसिंग शुल्क के अलावा, अन्य लागू शुल्क/प्रभार जैसे फोरशोर पेशा शुल्क, पानी के सेवन के लिए प्रभाव मूल्यांकन शुल्क, सौंदर्यीकरण के लिए शुल्क आदि देय होंगे।
  - 5) डेवलपर्स को अधिकृत निर्माण के लिए दी गई अनुमति के मामलों में, फोरशोर पेशा शुल्क और 30 वर्षों के लिए प्रभाव मूल्यांकन शुल्क, जैसा लागू हो, अन्य लागू शुल्कों के अलावा डेवलपर से एक बार में अग्रिम मूल्य के रूप में वसूल किया जाएगा।
  - 6) एसएमपीके टीम द्वारा निरीक्षण से पहले 2.20 लाख रुपये + 18% जीएसटी का निरीक्षण शुल्क देय होगा, भले ही पार्टी को अनुमति दी गई हो या नहीं। यदि आवश्यक हो तो बाद के निरीक्षण शुल्क भी प्रारंभिक निरीक्षण शुल्क के 50% पर देय होंगे, यानी रु. 1.10 लाख + 18% जीएसटी, हर अगली निरीक्षण से पहले।
  - 7) सभी लागू फीस की एसएमपीके द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
  - 8) संपत्ति निर्माण प्रस्तावों के लिए 45 दिनों के भीतर और जेटी निर्माण प्रस्तावों के लिए 60 दिनों के भीतर, सभी सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदनों को प्रक्रिया करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें ज़रूरी मैप, प्लान, ड्राइंग दस्तावेज़, अनुमति और शुल्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, प्रासंगिक दस्तावेज मिलने और ज्वार-भाटा की ऊंचाई की उपयुक्तता के आधार पर आवेदनों को समय पर प्रसंस्करण के लिए उन्हें संलग्न प्रोफ़ार्मा के अनुसार जमा किया जाना चाहिए।
  - 9) किसी मौजूदा पुराना भवन यानी 2014 से पहले की प्रॉपर्टी एरिया के अंदर कोई भी निर्माण/विस्तार/संशोधन को नया निर्माण माना जाएगा और यह उपरोक्त नियमों के अधीन होगा।

- 10) एसएमपीके के पास दी गई अनुमति (मरम्मत सहित) को रद्द करने की शक्ति होगी, यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि ऐसा निर्माण गतिविधि नदी के चैनल, किनारे और नदी के इकोसिस्टम को प्रभावित कर रही है। एसएमपीके के पास जुर्माना लगाने की भी शक्ति होगी यदि यह पाया जाता है कि परियोजना प्रस्तावक/डेवलपर/भूमि मालिक या कोई अधिकृत एजेंसी एसएमपीके द्वारा दी गई मंजूरी से हटकर परियोजना को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार है। ऐसी स्थिति में, जुर्माने के अलावा, एसएमपीके को निर्माण को गिराने और नदी के चैनल को बहाल करने की लागत का हकदार होगा और परियोजना प्रस्तावक/डेवलपर/भूमि मालिक/अधिकृत एजेंसी इसके लिए उत्तरदायी होगी। यह सभी भुगतान परियोजना प्रस्तावक/डेवलपर/भूमि मालिक/अधिकृत एजेंसी द्वारा, जैसा भी मामला हो, इस संबंध में एसएमपीके द्वारा अंतिम दावे के 3 महीने के भीतर पूरी तरह से किया जाना है, ऐसा न करने पर एसएमपीके को डिफ़ॉल्ट करने वाली पार्टी के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू करके ऐसी राशि वसूल करने का अधिकार होगा।
- 11) एसएमपीके के पास यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर स्वतः संज्ञान से निरीक्षण करने का भी अधिकार होगा कि निर्माण गतिविधियां अनुमेय सीमाओं के भीतर और अनुमोदित योजनाओं/प्लान के अनुसार की जा रही हैं। एसएमपीके के पास किसी भी निर्माण और/या मरम्मत कार्य को अस्थायी या स्थायी रूप से निलंबित करने का निर्देश देने का भी अधिकार होगा यदि यह पाया जाता है कि इसे अनुमोदन से अलग रूप से किया जा रहा है। विचलन ठीक होने के बाद ऐसा निलंबन हटा लिया जाएगा। 12) परियोजना प्रस्तावक/डेवलपर/ज़मीन मालिक/अधिकृत एजेंसी को उचित अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाना होगा और नदी में कचरा बहाने से रोकने के लिए सही कदम उठाने होंगे। लैंडिंग जगहों और पोर्ट की सीमाओं में कचरा और गंदगी फेंकने की इजाज़त नहीं होगी और डेवलपर/ज़मीन मालिक/अधिकृत एजेंसी को बिना किसी देरी के एसडब्ल्यूएम नियमों के अनुसार कचरे का निपटान और प्रबंधन करना होगा। अगर डेवलपर/ज़मीन मालिक/अधिकृत एजेंसी ऐसा करने में नाकाम रहती है, तो पोर्ट को कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
- 12) इसे विनियमित करने के लिए उचित कदम उठा सकता है और परियोजना प्रस्तावक/डेवलपर/ज़मीन मालिक/अधिकृत एजेंसी को दी गई अनुमति को भी रद्द कर सकता है, साथ ही मामले के आधार पर उचित समझे जाने पर जुर्माना भी लगा सकता है।
- 13) सितंबर 2017 के एनजीटी आदेश के खंड 16 (2) के अनुसार, मूल आवेदन नंबर 08/2015/EZ के मामले में, मेजर पोर्ट प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 26 के तहत पोर्ट सीमाओं के भीतर निर्माण के लिए प्राप्त सभी आवेदनों पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिसमें निदेशक समुद्री विभाग, मुख्य अभियंता और मुख्य हाइड्रोलिक अभियंता शामिल होंगे, जिनकी सहायता प्रबन्धक (पर्यावरण) और उनकी अनुपस्थिति में ओएसडी (पर्यावरण) करेंगे।
- 14) उपरोक्त नियमों को एसएमपीके द्वारा स्थानीय नगर पालिकाओं, पंचायतों और निगमों और आम जनता की जागरूकता के लिए समय-समय पर कागज़ प्रकाशनों के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा।
- 15) "पोर्ट सीमाओं के भीतर निर्माण" के संबंध में इस नियम के प्रकाशन से पहले दिशानिर्देशों का पालन न करते हुए की गई/पूरी की गई सभी निर्माण गतिविधियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमित किया जाएगा:
- i. पार्टी को क्रमांक 2 में बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

- ii. शामिल संरचनाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जहाँ तक संभव हो, दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का प्रयास किया जाएगा।
  - iii. दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए पार्टी द्वारा दंडात्मक शुल्क का भुगतान किया जाएगा, जो लागू शुल्कों का दोगुना होगा, जिसमें 30 वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम फोरशोर पेशा शुल्क, निरीक्षण शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और इस संबंध में कोई अन्य शुल्क शामिल है।
  - iv. ऐसा निर्माण किसी भी तरह से हुगली नदी को दूषित/प्रदूषित नहीं करेगा।
- 16) SMPK को उपरोक्त दिशानिर्देशों की भावना के अनुरूप और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होने पर उनमें ऐसे जोड़/परिवर्तन या संशोधन करने का अधिकार होगा। अनुमतियों और स्वीकृतियों के संबंध में SMPK के सभी निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होंगे।

ह.  
(सी. चटर्जी)  
सचिव  
महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड के आदेशानुसार  
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के लिए